न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 11/2026

श्री तेजपाल चौधरी निवासी ग्राम नाराणपुरा पोस्ट सोडा बावडी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज. पिन 304504

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 09.04.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

(A) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)

1. वर्ष (FY) 2021–22 से 2025–26 तक MGNREGA अंतर्गत ग्राम पंचायत को प्राप्त कुल राशि (वर्षवार)।
2. उक्त अवधि में कराए गए सभी कार्यों की सूची, जिसमें: –कार्य का नाम व स्थान –स्वीकृत राशि –व्यय राशि
3. प्रत्येक कार्य के मस्टररोल, जॉब कार्ड संख्या एवं भुगतान विवरण।
4. अपूर्ण/लंबित कार्यों की सूची व कारण।
5. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) रिपोर्ट की प्रतिलिपि।

(B) 15वां वित्त आयोग अनुदान (15th Finance Commission Grant)

6. 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त कुल अनुदान (वर्षवार)।
7. उक्त निधि से कराए गए कार्य/खरीद का विवरण (कार्यवार)।
8. प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम सभा प्रस्ताव, स्वीकृति आदेश व भुगतान विवरण।
9. शेष राशि (Unspent Balance) का विवरण।

(C) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

10. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्राप्त कुल धनराशि (वर्षवार)।
11. कराए गए कार्यों की सूची (वर्षवार)।
12. लाभार्थियों की सूची एवं DBT/ भुगतान विवरण।
13. अपूर्ण/लंबित कार्यों की जानकारी।

(A) राज्य वित्त आयोग(State Finance Commission – SFC) अनुदान

14. राज्य वित्त आयोग से प्राप्त कुल राशि (वर्षवार)।
15. इस निधि से कराए गए विकास कार्यों का विवरण।
16. कार्यों की स्वीकृति, भुगतान एवं शेष राशि का विवरण।

(E) अन्य पंचायत निधियाँ/योजनाएँ (यदि कोई हो)

17. ग्राम पंचायत के अधीन संचालित अन्य सभी योजनाओं/निधियों (जैसे विशेष अनुदान, सांसद/विधायक अनुशंसा, राज्य सरकार की विशेष योजना आदि) की सूची।

803

जिला कलेक्टर
टोंक

18. प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्राप्त, व्यय एवं शेष राशि का विवरण।
(F) निगरानी, ऑडिट एवं शिकायतें
19. उपरोक्त सभी योजनाओं के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भौतिक/वित्तीय ऑडिट विवरण एवं रिपोर्ट की प्रतिलिपि।
20. क्या किसी योजना में अनियमितता, शिकायत या जांच हुई है? –यदि हाँ, तो संबंधित कार्रवाई विवरण।
21. अगर रिकॉर्ड नहीं है– रिकॉर्ड नष्ट करने का आदेश नंबर – किस नियम के तहत नष्ट किया गया अतिरिक्त सूचना –मांगी गई समस्त सूचना प्रमाणित प्रतिलिपि (Certified Copies) में उपलब्ध कराई जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 182 दिनांक 03.02.2026 व 314 दिनांक 19.02.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 91–92 दिनांक 03.02.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अति0 जिला कलेक्टर, टोंक श्री रामरतन सौंकरिया के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर पीएल जाट के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 91–92 दिनांक 03.02.2026 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 90 दिनांक 03.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक